न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. हीरालाल पुत्र पोकरराम जाति माली निवासी बेरा बिजोड़िया जैतारणिया गेट के बाहर सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली।		1. तेजाराम 2. चम्पालाल 3. सोहनलाल 4. केवलचंद पिसरान पोकरराम जातिगण माली निवासीगण बेरा बिजोड़िया जैतारणिया गेट के बाहर सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली। 5. तहसीलरदार (भूमिधाकर) तहसीलदार सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 144 / 2021

उपस्थितिः–

01. श्री प्रफुल्ल औझा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

02. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 01/07/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के ख0नं0 4922 रकबा 0.1050 है0 किस्म चाही प्रथम, ख.नं. 4942/2 रकबा 0.0900 है0 किस्म चा0प्र0 की कृषि भूमि आयी हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/5 हक हिस्सा आता हैं। वादस्थ भूमि संयुक्त कब्जा काश्त प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 से 4 का हैं। वादस्थ भूमि का आदिनांक तक कोई विधिक बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। प्रार्थी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाना चाहता हैं। लेकिन अप्रार्थीगण ने साफ मना कर दिया एवं बोला की भूमि का बंटवाड़ा हो चुका हैं। तहसील में बुलाकर बहकावे में लेकर गलत बंटवाड़ा करवाया गया हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त में अवरोध पैदा कर रहे हैं एवं बेदखल करने पर उतारू हैं। यदि वे ऐसा करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादस्थ भूमि का बेचान, रहन एवं अन्य हस्तान्तरण नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करने अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने तथ्य को गलत तरीके से पेश किया है। पक्षकारों के मध्य तहसील कार्यालय में दिनांक 09.09.2021 को आपसी सहमति का बंटवाड़ा किया जाकर तस्दीक किया गया हैं, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा तरमीम भी करवा दिया गया हैं। उक्त बंटवाड़ा स्वेच्छा से करवाया गया है। जिसके अनुसार पक्षकार अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

हैं। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र एवं वाद चलने योग्य नहीं हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा धोखे मे रखकर रजिस्ट्री साख डालने का बोल कर तहसील कार्यालय में बंटवाडा करवा दिया जो गलत हैं। प्रार्थी की भूमि में अप्रार्थीगण दखल अंदाजी करने पर उतारू हैं। जिन्हे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि भूमि का बंटवाडा पूर्व मे हो चुका है। गलत तथ्य के आधार पर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। जो काबिल खारिज होने से खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अवलोकन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः पक्षकारान की प्रार्थीत भूमि संयुक्त सामलाती कृषि भूमि हैं। हस्तगत प्रकरण में सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 01/07/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)